...व हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इमिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
.2019	प्रार्थी श्री शंकर लाल पुत्र देराराम निवासी रामसरानारायण तहसील व जिला हनुमानगढ द्वारा चक 22 एच एम एच के पत्थर नम्बर 108/290 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक 0.038 हैक. गै.मु. शुद्वि करवाने हेतु अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट में प्रार्थना पत्र दिनांक 6.2.2019 को पेश किया जांच हेतु तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ को भिजवाया गया और तहसीलदार हनुमानगढ के पत्र क्रमांक भू.अ./दुरूस्ती/19/390 दिनांक 8.2.2019 से बाद जांच रिपोर्ट मय राजस्व रिकार्ड प्राप्त हुआ। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट में दर्ज किया जाकर पत्रावली दिनांक 11.2.2019 को पेश हो।	
.2019	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार भू.अ.हनुमानगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुशंषा सहित प्राप्त हो चुकी है। हमारे द्वारा रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य नामांतरण संख्या 591 चक 22 एच एम एच,भू.प्रबन्ध जमांबदी चक 22 एच एम एच खाता संख्या 93 संवत 2033–42,पर्चा खतौनी चक 22 एच एम एच, जमाबंदी तहसील हनुमानगढ चक 22 एच एम एच संवत 2025–28, जमाबंदी चक 22 एच एम एच खाता संख्या 74/68 संवत 2072–2075, इसी चक के खाता संख्या 177/157 ज.सं. 2072–2075,खाता संख्या 278/247 ज.स. 2072–2075, खाता संख्या 238/79 ज.स. 2064–67, खाता संख्या 68/238 ज.सं. 2068–2071, खाता संख्या 157/238 ज.सं. 2068–2071, खाता संख्या 2068–71 खाता संख्या 247/238 आदि का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट तहसील अनुसार व राजस्व रिकार्ड से मिलान करने पर यह पाया गया कि पर्चा खतौनी संवत 2025–2028 के पत्थर नम्बर 108/290(22)के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में 0.038 हैक्टर दर्ज रिकार्ड था किन्तु संलग्न मिसल बंदोबस्त संवत 2033–2042 व जमाबंदी संवत 2036–2039 में उक्त रास्ता सहवन से पत्थर नम्बर 108/290 किला नम्बर 1 ता 5 में 0.025 हैक्टर लिखा गया परन्तु उक्त मिसल बन्दोबस्त व जमाबंदी के खाते में लगे पत्थर नम्बर 108/290 किला नम्बर में गै.मु. रास्ता का योग 0.190 हैक्टर दर्ज है जिसके अनुसार किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में गै.मु रास्ता 0.038 होना चाहिये। मुताबिक रिपोर्ट जमाबंदी ,नक्शा व गिरदावरी लाईन पत्थर नम्बर 290 पर पत्थर नम्बर 104/290 से 107/290 से 109/290 से	

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

113/290 तक यह रास्ता प्रत्येक किला में 0.038 हैक्टर रास्ता मौका पर चालू है और बन्द नही है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से परिलक्षित हो रहा है कि पत्थर नम्बर 108/290(22)किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में 0.038 हैक.गै.मु.रास्ता की बजाय उक्त पत्थर नम्बर 1 ता 2 में गै.मु. बिल्कुल भी दर्ज नही होना व पत्थर नम्बर 3 ता 5 में 0.025 हैक्टर गै.मु.रास्ता दर्ज होना एक लिपिकीय त्रृटि है और काबिल दुरूस्ती है जो चालू राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार भू.अ. हनुमानगढ की अनुशांषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर वर्तमान में चालू राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 22 एच एम एच के खाता संख्या 177/157 के पत्थर नम्बर 108/290 (22) किला नम्बर 1/2 के 0.139 हैक्टर अनकमाण्ड रकबा में से 0.021 हैक. गै.मु. रास्ता व खाता संख्या 74/68 के पत्थर नम्बर 108/290(22)किला नम्बर 1/1 के 0.114 हैक्टर अनकमाण्ड रकबा में से 0.017 हैक्टर गै.मु.रास्ता व किला नम्बर 2/1 का 0.025 हैक्टर अनकमाण्ड में से 0.025 हैक. गै.मु.रास्ता, इसी चक के खाता संख्या 278/247 के पत्थर नम्बर 108/290(22) किला नम्बर 2/2 के 0.228 हैक्टर अनकमाण्ड में से 0.013 हैक. गै.मु.रास्ता व पत्थर नम्बर 108/290(22)किला नम्बर 3,4,5 प्रत्येक में 0.025 हैक. गै.मु.रास्ता के स्थान पर 0.038 हैक. गै.मु.रास्ता राजस्व रिकार्ड में दुरूत किया जाकर अंकित किया जावे। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार भू.अ. हनुमानगढ को लिखा जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दप्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner